



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act, No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रं. 923/भ.शा./2020/

भोपाल. दिनांक...जून,2020

सीमित निविदा-आमंत्रण

1.7.20

प्रति,

विषय:- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सेनेटाईजेशन सामग्री क्रय करने विषयक।

विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सेनेटाईजेशन सामग्री क्रय की जाना है। अतः सेनेटाईजेशन सामग्री प्रदाय हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी निविदा "कुलसचिव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल" के नाम से दिनांक 15.7.2020 को अपरान्ह 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्र वाहक के माध्यम से "सहायक कुलसचिव (प्र.शा.) माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी-38 विकास भवन जोन-1 एम.पी. नगर, भोपाल, -462011 के पते पर भेज सकते हैं। क्रय की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्रं.	विवरण	मत्रा
1.	Hand sanitizer dispenser Manual 500 ml	10 नग
2.	Hand sanitizer dispenser Manual 50 ml	30 नग
3.	Hand Sanitizer 72% Ethyl Alcohol Based 5 Litre	25 नग
4.	Sodium Hypo Chlorite Solution 6%	50 ली.
5.	Nitrile Gloves	100 नग
6.	Cotton Gloves	100 नग
7.	Face Mask disposable	100 नग
8.	Handwash Liquid 5 Litre	10 नग



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय


(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act. No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

नियम एवं शर्तें /-

1. निर्धारित समयावधि के पश्चात फर्मों से प्राप्त सीमित निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. सामग्री का प्रदाय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में स्वयं के व्यय पर करना होगा।
3. सामग्री क्रय की मात्रा में कमी या वृद्धि हो सकती है।
4. फर्म/संस्था/प्रोप्रायटर का जी.एस.टी. नम्बर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
5. जी.एस.टी. राशि को उल्लेख कोटेशन में पृथक से करें।
6. किसी भी कोटेशन को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।
7. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।


(अशोक कुमार पाण्डेय)

सहायक कुलसचिव (प्र.शा.)